

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 150/19

निर्णय दिनांक:-28-02-2020

1. देशराज
2. बलराम
3. मदन
4. सुल्तान
5. मालाराम
6. वेदप्रकाश
7. बिहारीलाल

पुत्रगण स्व. बीरबलराम पुत्र बिशनाराम जाति बाजीगर
निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 30-05-1998
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:-



1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 30-05-1998 जिसके द्वारा अपीलांट्स के पिता का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की

अपील आधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स के पिता द्वारा तहसील पूगल में चक 1 एमजीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 117/57 की 25 बीघा भूमि के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त मुरब्बे के आवंटन हेतु अपीलांट्स के पिता के

साथ-साथ अन्य व्यक्तियों द्वारा भी आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये थे। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स के पिता व अन्य पात्र व्यक्तियों की पात्रता निर्धारित करते हुए अपीलांट्स के पिता को भी उक्त भूमि के आवंटन का पात्र घोषित किया गया था। तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स के पिता को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सूचना दिये प्रार्थना पत्र निलामी में उपस्थित नहीं आने व उक्त भूमि अन्य को आवंटित होने के कारण खारिज कर दिया गया। इस संबंध में अपीलांट्स के पिता को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट्स के पिता ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसप्रकार अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स के पिता का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। यदि अपीलांट्स के पिता को अवसर प्रदान किया जाता तो वह अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता था। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।



उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30-05-1998 के विरुद्ध अपील दिनांक 12-09-14 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स के पिता का प्रार्थना पत्र निलामी में उपस्थित नहीं होने के आधार पर खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अब अपीलांट्स किसी प्रकार का संतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्थान अपील बोर्ड
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
6. (1) जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 30-05-1998 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 12-09-2014 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया

गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट्स के पिता ने अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि चक 1 एमजीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 117/57 की भूमि बतौर विशेष आवंटन की इस्तदुआ की गई थी। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स के पिता का आवंटन प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आया व अन्य आवेदक के उपस्थित आने पर उक्त भूमि अन्य पात्र व्यक्ति को आवंटित कर दी गई है। अतः प्रार्थी का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

(3) इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स के पिता को वादग्रस्त भूमि के आवंटन से पूर्व नोटिस क्रमांक 2848 दिनांक 19-03-1998 जारी किया गया कि वे निलामी में भाग लेने के लिये 35 प्रतिशत राशि मय वांछित सबूत यथा सद्भावी काश्तकार का प्रमाण पत्र, भूमि तस्दीक प्रमाण पत्र, मतदाता सूची 1971, 1980, 1985, 1993 व मूल निवासी प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित आवें। अपीलांट बावजूद सूचना अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आया। ऐसीस्थिति में अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु अन्य आवेदक के निलामी में मय सबूत उपस्थित आने पर उक्त भूमि का आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकती। विशेष आवंटन नियमों में अन्य भूमि आवंटन के प्रावधान निहित नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स के पिता का आवंटन प्रार्थना पत्र वांछित सबूत पेश नहीं करने व निलामी में उपस्थित नहीं आने के आधार पर खारिज किया गया है। जो विधि सम्मत है।



7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 30-05-1998 यथावत बहाल रखा जाता है।
8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28-02-2020 को सरे इजलास सुनाया गया।


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर प्राधिकारी
बीकानेर

